

जान/ ६/

अतः अप्राथमिक को ला-फैसला
वाफ निवेद्याता से पाबन्ध किया जाता है
कि वे विवादीर आरजी खन 1746 2000
0.12 ईम्बर एयर वोक ग्राम गण्डाला तह
सिरोड जिला अलवर का जब तक विधिवत
रूप से तकासमा होकर अलग-अलग से
खाताबन्दी नहीं हो जाती तब तक आरजी
मुतनाजा से किसी भी भाग पर जबरन
कब्जा करके निर्माण कार्य नहीं करे व ना
ही वादीगण को उपयोग व उपभोग में
महजामर पैदा करे व ना ही फलल होने
कारण दिक्कत खाती पैदा ना हो स्वयं करे
व ना ही अपने परिवार के सदस्य, भजेचो
एवं नोकरान साथ ही कव्यापे । मोके व
रिकार्ड की जफालिफारी बनोप करे । पत्राशली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । वाद
पूर्ति डाखिल इफतार हो ।


सहायक कलेक्टर
अलवर (अलवर) तह.